

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास / वाणिज्य के निम्नांकित कार्मिकों का दोहरा पदस्थापन/एपीओ


के कारण से निम्नांकित के नाम के सामने अंकित स्थान पर संशोधन/समायोजन तत्काल प्रभाव से किया जाता है-

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण-संशोधन/इतिहास-वाणिज्य/2019-20

दिनांक- 18.10.2019

क्रमांक	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	subject	कहाँ से राउमावि/राबाउमावि	जिला	कहाँ को राउमावि/राबाउमावि	जिला
1	विक्रम सिंह शेखावत	History	एपीओ-बीकानेर	Bikaner	राउमावि राजपुरा-पिपराली	Sikar
2	सतीश कुमार महला	History	राउमावि 48 जीबीए गंगानगर से स्थानान्तरणाधीन राउमावि बदाढर धौद-सीकर के स्थान पर	Sikar	राजकीय एल.आर.आर.डी. बुधिया उमावि बेसवा-फतेहपुर	Sikar
3	राजेन्द्र वर्मा	History	राउमावि शेरपुर-सुनेल झालावाड़ से स्थानान्तरणाधीन राउमावि यालसर-लक्ष्मणगढ़ सीकर	Sikar	GOVT. SR. SEC.SCH., DHAAHAR KA BAS, LAXMANGARH	Sikar
4	शीला देवी	History	एस.एम.डी. अलवर से स्थानान्तरणाधीन भण्डीडी अलवर के स्थान पर	Alwar	राउमावि सिहाली खुर्द-मुण्डावर	Alwar
5	नानगराम सौलकी	commerce	जोधराज मोहनलाल बजाज लक्ष्मणगढ़ सीकर से स्थानान्तरणाधीन राउमावि आकोदा जयपुर	Jaipur	राउमावि बिचूण-दूद	Jaipur

उक्त कार्मिक संशोधित पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें। आदेश की शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण-संशोधन/इतिहास-वाणिज्य/2019-20

दिनांक- 18.10.2019

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
- 5 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति दें।
- 6 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।
- 7 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रभावी मोनटरिंग करें।
- 8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- 9 सम्बन्धित कार्मिक
- 10 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान

बीकानेर